28/1

उत्तराखण्ड शासन
संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1
संख्याः– 1619 /VI(1)/2012–117(पर्य0)/2001
देहरादूनः दिनांक 05 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2012

अधिसूचना/प्रकीर्ण

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम–2001 की धारा–20 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली–2002 के अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम प्रारम्भः–**
   (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना (चतुर्थ संशोधन) नियमावली–2012" है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–7 का प्रतिस्थापन

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना नियमावली 2002 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के साथ स्तम्भ–2 में उल्लिखित प्रस्तर भी जोड़ दिया जायेगा, अर्थात :–

विद्यमान नियम स्तम्भ–1	एतद् द्वारा जोड़े जाने वाला प्रस्तर स्तम्भ–2
7. **राजकीय सहायता की धनराशि** :– राजकीय सहायता की धनराशि नियम–6 के अन्तर्गत वर्णित प्रयोजन हेतु पूंजी संकर्म की लागत के 25 प्रतिशत या ₹ 10.00 लाख, इसमें जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। राजकीय सहायता सीधे सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्थाओं को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से देय होगी तथा राजकीय सहायता बैंक के ऋण की पूरी अदायगी होने पर, बैंक द्वारा उद्यमी को अवमुक्त की जायेगी अथवा अन्तिम किश्त के रूप में बैंक द्वारा इसका समयोजन किया जायेगा। राजकीय सहायता की धनराशि सम्बन्धित बैंक शाखा में लाभार्थी के नाम पर चालू खाता खोलकर रखी जायेगी, जिस पर न तो बैंक द्वारा ब्याज दिया जायेगा और ऋण की धनराशि में से इस धनराशि को घटाकर शेष धनराशि पर लाभार्थी से लिये जाने वाली ब्याज की गणना की जायेगी।	राजकीय सहायता की धनराशि पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु नियम–6 में वर्णित प्रयोजन के लिये (गैर वाहन मद में) पूंजी संकर्म की लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 15.00 लाख, इसमें जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी। पर्वतीय क्षेत्रों के निर्धारण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए घोषित **"विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008"** एवं उस पर समय–समय पर किये गये/किये जाने वाले संशोधनों के आधार पर परिभाषित पर्वतीय क्षेत्रों को इस योजना हेतु पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

आज्ञा से,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

...2

संख्याः–1649 /VI(1)/2012–117(पर्य0)/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वे कृपया इस अधिसूचना का प्रकाशन करने का कष्ट करें।
8– गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुपालन के सूचनार्थ।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।